एवं ... की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
30.09.2019		

न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–04/2013–14

राजा हिमांशु यादव–बनाम–रंजन यादव

अपीलार्थी

1. सत्यभामा देवी, पिता–स्व0 बोकु दास, सा0–केशवपुर, जमालपुर, पो0+थाना–जमालपुर, जिला–मुंगेर।

प्रतिस्थानी अपीलार्थी

1. राजा हिमांशु यादव, पिता–राजेन्द्र प्रसाद यादव, सा0–छोटी केशवपुर, थाना–जमालपुर, जिला–मुंगेर (बिहार)।

विपक्षी

1. दारा सिंह यादव, पिता–हरिहर यादव, साकिन+पो0–महादेवगंज, थाना–साहेबगंज (मु0) जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

यह अपीलवाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–28.06.2013 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के मुटेशनवाद के आदेश तिथि–14.11.12/21.11.12, मुटेशनवाद सं0–314/2012–13 के विरूद्व दायर किया गया। अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर विलम्बक्षान्त हेतु आवेदन पत्र पर सुनने के पश्चात् विलम्बक्षान्त करते हुए अपीलवाद को अंगीकृत किया गया। विपक्षी (उत्तरवादी) को न्यायालय द्वारा नोटिस करते हुए तामिला करायी गयी तथा अंचलाधिकारी, साहेबंगज से उक्त मुटेशनवाद मूल अभिलेख की मांग की गई। अंचलाधिकारी, साहेबगंज ने पत्रांक–150/रा0, दिनांक–06.06.2015 द्वारा इस न्यायालय को याचित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया गया। मूल अभिलेख की प्राप्ति पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जमीन विक्रेता सत्यभामा देवी है और उन्हीं के द्वारा अपील भी दायर किया गया है। बिक्री किया गया जमीन ज0नं0–59 एवं 267 ज0नं0 की है, जो पंजी II में उपलब्ध ही नहीं है।

इसके उत्तर स्वरूप विपक्षी (उत्तरवादी) के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के पारा 01 में स्वयं स्वीकारा है कि मौजा–मखमलपुर के ज0नं0–59+267/630, रकवा 57 (संतावन) बीधा 10 (दस) कट्टा भूमि के मालिक है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उक्त जमीन का मुटेशन करने के वक्त की गई मौजा के–16/आना रैयत के नोटिस में सत्यभामा देवी (विक्रेता) का हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है। विपक्षी ने चुपचाप मुटेशन करवाने का कार्य किया है। अतएव इस आधार पर अंचल का मुटेशन आदेश खारिज योग्य है।

इसके प्रतिउत्तर में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जमीन विक्रेता सत्यभामा देवी जो बिहार राज्य के मुंगेर जिला, सा0–केशवपुर, जमालपुर में रहती है, को कई बार मुटेशन के संबंध में सूचना दी गई लेकिन वे नहीं आयी। अन्ततः मुटेशन की कारवाई की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि ज0नं0–59+267 में 630 ज0नं0 जोड़कर गलत ढंग से नामान्तरण किया गया है इसलिए अंचल का नामान्तरण वाद रद्द करने योग्य है।

क्रमांक एवं आदेश की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
	इसके प्रतिउत्तर में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरवादी को बिक्री किया गया निबंधित केवाला सं0–1965, दिनांक–23.05.1995 में वर्णित किया गया है कि ज0नं0–59 का बिक्री रकवा–14.11.13 धूर एवं ज0नं0–267 का बिक्री रकवा–00–12–07 धूर अर्थात् कुल रकवा–15–04–00 (पन्द्रह बीधा चार कट्टा) धूर है। उक्त भूमि को पूर्व में ठाकुर दास एडभोकेट के नाम से खरीदा गया, जिसका नामान्तरण वाद सं0–162/75–76 के द्वारा अपीलार्थी का नाम पंजी II में दर्ज है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी का लगान रसीद वर्ष 2012 तक का निर्गत है जो अपीलार्थी के पास है। अतएव जब उक्त भूमि वर्ष 1995 में विपक्षी द्वारा खरीदा गया तो मुटेशन 2012–13 में क्यों करवाया? अतः उक्त जमीन सत्यभामा देवी अपीलार्थी के द्वारा बिक्री नहीं किया गया है। इसलिए अंचल का नामाण्तरण वाद खारिज करने का अनुरोध करता हूँ। इसके जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि खरीदा गया भूमि का नामान्तरण लोगों द्वारा समय लेकर ही कराया जाता है। वैसे विपक्षी को निबंधित केवाला की सत्यापित प्रति दिनांक–26.06.10 को प्राप्त हुआ है, उसके उपरान्त मुटेशन की कार्रवाई शुरू की गई जिसका शुद्धि पत्र का निर्गत आदेश दिनांक–21.11.12 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिया गया। अतः उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं के सुनने के पश्चात् , अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरान्त तथा पंजी II की सत्यापित प्रति को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा स्वीकृत किया गया मुटेशन वाद सं0–314/2012–13 का आदेश तिथि–14.11.12/21.11.12 बिल्कुल वैध एवं नियमतः सही है। क्योंकि अपीलार्थी सत्यभामा देवी, पिता–स्व0 बोकु दास द्वारा उत्तरवादी (विपक्षी) रजन यादव, पिता–हरिहर यादव के पास उक्त जमीन बिक्री की गई है जिसका विपक्षी ने अपने नाम से मुटेशन कराया है। अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन–पत्र को अस्वीकृत एवं खारिज करते हुए अंचल कार्यालय के मुटेशन आदेश तिथि–14.11.12/21.11.12, मुटेशन वाद सं0–314/2012–13 को बरकरार रखा जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस वाद के विरूद्ध अपील दायर कर सकते है। यह आदेश उभय पक्ष/ उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को दिखायें। आदेश की प्रतिलिपि के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज को वापस करें। अभिलेख की कार्रवाई बन्द (समाप्त) की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ह0/- 20/9/19 उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज। ह0/- 20/9/19 उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज। ज्ञाप 46 / डी.सी. साहेबगंज, दि0 07.11.19 प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनु0 1. अंतिम आदेश की प्रतिलिपि। 2. नामांतरण वाद सं. - 314/12-13 (अभिलेख पत्र) कुल - 18 अठारह पन्नों में। ह0/- 7.11.19 उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार, साहेबगंज।	